



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 4046 / अका. / का.प / 2024

रायपुर, दिनांक 13/08/2024

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '90वाँ' बैठक बुधवार दिनांक 21.08.2024 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.07.2024 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना। (पृष्ठ क्र. 01 से 09 तक)

टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. विश्वविद्यालय से संबंध 31 महाविद्यालयों को पूरक परीक्षा 2024 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रु. 14,50,000.00 (रुपए चौदह लाख पचास हजार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।
टीप : विश्वविद्यालय से संबंध 31 महाविद्यालयों को पूरक परीक्षा 2024 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रु. 14,50,000.00 (रुपए चौदह लाख पचास हजार मात्र) का भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।
3. श्री खिलावन राम यादव, भृत्य, प्रेस के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 10,36,382.00 (रुपए दस लाख छत्तीस हजार तीन सौ बयासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
टीप: श्री खिलावन राम यादव, भृत्य, प्रेस का दिनांक 30.06.2024 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 10,36,382.00 (रुपए दस लाख छत्तीस हजार तीन सौ बयासी मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।
4. श्रीमती मीना यादव, भृत्य, प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 10,23,089.00 (रुपए दस लाख तेईस हजार नवासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
टीप: श्रीमती मीना यादव, भृत्य, प्रशासन विभाग का दिनांक 30.04.2024 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 10,23,089.00 (रुपए दस लाख तेईस हजार नवासी मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।
5. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

आदेशानुसार,

K. Patel
13/8/24
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 4047 / अका. / का.प / 2024
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 13/08/2024

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

U
उप-कुलसचिव (अका.)



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '90वाँ' बैठक बुधवार दिनांक 21.08.2024 को अपराह्न 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.08.2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना। (पृष्ठ क्र. 01 से 07 तक)

टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देश 15/2024 पत्र क्रमांक 1766/एफ-01002199/एल-11-2/ब-4/चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11.06.2024 के अनुसार विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के छठवें एवं अंतिम किस्त के एरियर्स की राशि माह फरवरी-2018 से जून-2018 तक कुल राशि रुपए 42,47,060/- (रुपए बयालिस लाख सैंतालिस हजार साठ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : 1. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देश 15/2024 पत्र क्रमांक 1766/एफ-01002199/एल-11-2/ब-4/चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11.06.2024 के अनुसार विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के छठवें एवं अंतिम किस्त के एरियर्स की राशि माह फरवरी-2018 से जून-2018 तक कुल 05 माह का भुगतान किया गया है।

2. यथा निर्देशानुसार कुल एरियर्स की राशि आयकर एवं अन्य कटौतियाँ सहित कुल राशि रुपए 42,47,060/- (रुपए बयालिस लाख सैंतालिस हजार साठ मात्र) का भुगतान किया गया।

3. उक्त वित्त निर्देश अंगीकृत कर रुपए 42,47,060/- (रुपए बयालिस लाख सैंतालिस हजार साठ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

3. विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सातवें वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2018 तक के एरियर्स की राशि आयकर एवं अन्य कटौतियाँ सहित कुल राशि रु. 1,87,10,977/- (अक्षरी रूपये एक करोड़ सतासी लाख दस हजार नौ सौ सत्तहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : 1. छ.ग. शासन के उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, के आदेश क्रमांक एफ 2-1/2018/38-1, रायपुर दिनांक 27/06/2024 के अनुपालन में राज्य शासन एतद् द्वारा सातवें वेतनमान के एरियर्स की केन्द्रांश की 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं होने के कारण के-डिपॉजिट में जमा राज्य शासन का अंश की राशि को विमुक्त करने की सहमति दी गई है। (छायाप्रति संलग्न)

2. राजकीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी 7वें वेतनमान के एरियर्स की राज्यांश इस शर्त पर भुगतान की सहमति प्रदान की गई है कि उक्त वर्षों में दी जा चुकी ब्लाक ग्रांट की राशि के अतिरिक्त पृथक् से कोई अनुदान राशि जारी नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में दी जा चुकी संबंधित वर्षों की अनुदान राशि से ही उक्त भुगतान का समायोजन करेंगे।

4

3. उक्त सहमति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 392/2024/वित्त/नियम/चार, दिनांक 26.06.2024 द्वारा दी गई है।
4. उक्त आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स राशि माह जनवरी-2016 से मार्च-2018 तक कुल 27 माह का भुगतान किया जाना है। यथा निर्देशानुसार कुल एरियर्स की राशि आयकर एवं अन्य कटौतियां सहित कुल राशि रु. 1,87,10,977/- (अक्षरी रूपये एक करोड़ सतासी लाख दस हजार नौ सौ सत्तहत्तर मात्र) का भुगतान किया जाना है।
5. उक्त वित्त निर्देश अंगीकृत किये जाने हेतु हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. प्रकरण क्रमांक W.P.(S) 5143/2012 डॉ. पुरुषोत्तम लाल चंद्राकर विरुद्ध पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के संबंध में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक 89वाँ दिनांक 19.07.2024 पूरक विषय सूची क्रमांक 6 में विश्वविद्यालय पत्रांक संख्या 103/Estb./Gen.Adm./2023 dated 06-09-2023 के स्थान पर पत्रांक संख्या 718/Estb./Gen.Adm./2017 dated 17-02-2017 संशोधन किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : विषयांतर्गत विश्वविद्यालय की माननीय कार्यपरिषद् की 89वां बैठक दिनांक 19.07.2024 में पूरक विषय सूची क्रमांक 6 में लिए गए निर्णयानुसार सूची क्रमांक 6 के बिंदु क्रमांक 6 में "श्री पुरुषोत्तम लाल चंद्राकर प्रकरण में एकल पीठ के उक्त दोनों आदेश के अवलोकन के पश्चात् उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री नीरज चौबे का अभिमत है कि -चूंकि वर्तमान में सह-प्राध्यापक का पद विश्वविद्यालय में रिक्त है तथा विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 17.02.2017 द्वारा इनकी सह-प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति की गई थी तथा माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के द्वारा श्री पुरुषोत्तम लाल चंद्राकर को किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ देने के निर्देश नहीं किए गए हैं। अतः विश्वविद्यालय माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश दिनांक 20.02.2024 का अक्षरशः पालन करते हुए नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्रकरण को कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत कर उचित निर्णय ले सकता है अथवा माननीय उच्च न्यायालय एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध रिट अपील युगल पीठ अपील युगल पीठ के समक्ष की जा सकती है।"

उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान ग्रहण करते हुए परिषद् के सदस्यों ने प्रकरण के संबंध में सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए व्यापक चर्चा की। तत्संबंध में कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि - रिट याचिका W.P.(S) 5143/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रदान किए गए आदेश के क्रम में डॉ. पुरुषोत्तम लाल चंद्राकर को विश्वविद्यालय पत्रांक संख्या 103/Estb./Gen.Adm./2023 dated 06.09.2023 द्वारा निर्गत भूगोल अध्ययनशाला में सह-प्राध्यापक पद पर नियुक्ति आदेश को यथावत रखते हुए इन्हें तदसम्बन्धी पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 15 दिनों के मध्य उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने का पुनः एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए। इन्हें रिट याचिका W.P.(S) 5143/2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सापेक्ष वित्तीय लाभ को छोड़कर अन्य यथोचित लाभ देय होंगे। तत्संबंध में यदि डॉ. चंद्राकर संबंधित सह-प्राध्यापक पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या 3916 Estb./Gen.Adm./2023 dated 06.09.2023 में विज्ञापन पद को पूरित (filled) समझा जाए।

रिट याचिका W.P.(S) 5143/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के सापेक्ष डॉ. चंद्राकर को पदभार ग्रहण करने के लिए प्रदान किए जा रहे अतिरिक्त अवसर के क्रम में यदि इनके द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो भविष्य में इन्हें पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जाए एवं तत्संबंध में विश्वविद्यालय आवश्यक विधिक/न्यायालयीन कार्यवाही संपादित करें।

अतः कार्यवृत्त के उक्त पैराग्राफ में विश्वविद्यालय पत्रांक संख्या 103/Estb./Gen.Adm./2023 dated 06.09.2023 के स्थान पर पत्रांक संख्या 718/Estb./Gen.Adm./2017 dated 17.02.2017 संशोधन किया जाना प्रस्तावित शेष यथावत रहेंगे। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

5. विश्वविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों की भर्ती/नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

टीप : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.) के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक रिक्त पदों की भर्ती के संबंध में छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के द्वारा निम्न पत्र क्रमांकों के माध्यम से स्वीकृत प्रदान की गई थी।

- (1) एफ 3-8/2021/38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर दिनांक 22.07.2022 कुल 69 शैक्षणिक पद
- (2) एफ 3-5/2021/38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर दिनांक 28.08.2023 कुल 51 शैक्षणिक तथा 10 अशैक्षणिक पद(प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी)

परंतु छ.ग. शासन वित्त विभाग के निर्देश एवं कतिपय अन्य कारणों से उक्त प्राप्त दोनों प्रस्तावों के सापेक्ष विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 2049/स्था./सा.प्रशा./2024 रायपुर दिनांक 01.07.2024 के संदर्भ में छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर ने पत्र क्रमांक 1089/820/2024/38-2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23.07.2024 के माध्यम से कुल 120 रिक्त शैक्षणिक पदों को 02 चरणों में (प्रथम चरण में 60 पद एवं द्वितीय चरण में 60 पद) एवं 10 अशैक्षणिक पदों को नियमानुसार भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

उक्तानुसार रिक्त शैक्षणिक पदों को भरने के लिए प्राप्त स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित बिन्दु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :-

- (1) विश्वविद्यालय के विज्ञापन क्रमांक 3916/Estb./Gen.Adm./2023 दिनांक 06.09.2023 के द्वारा विज्ञापित 49 शैक्षणिक पदों में से **W.P.(S) 5143/2012** पुरुषोत्तम लाल चंद्राकर v/s पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 20.02.2024 के परिपालन में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 89वां बैठक दिनांक 19.07.2024 में लिए गए निर्णयानुसार भूगोल विभाग के सह प्राध्यापक के लिए जारी उक्त विज्ञापन में 01 पद **OBC (BL)** को विलोपित/निरस्त कर शेष 48 में 12 शैक्षणिक पदों को जोड़कर उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रथम चरण में कुल 60 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी करना।
- (2) पूर्व में 49 शैक्षणिक विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों (भूगोल विषय को छोड़कर) को स्वीकार करते हुए सम्बन्धित आवेदकों को पुनः आवेदन करने से छूट प्रदान करना तथा यदि कोई आवेदक अपने शैक्षणिक उन्नयन को पूर्व में किए गए आवेदन में जोड़ना चाहता है तो उसे निःशुल्क अनुमति प्रदान करना।
- (3) विश्वविद्यालय की 78वीं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.07.2023 में आरक्षण रॉस्टर के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन के द्वारा विभिन्न विभागों के शैक्षणिक पदों प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 60 पदों के लिए प्रस्तुत तालिका के संबंध में विचार करना।

Table for Teaching post to be advertise :

No.	Name of the Department	Name, Number of Post & Category		
		Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1	Sociology	1 (ST BL)	1 (ST BL)	1 (UR)
2	History	1 (OBC)	1 (SC BL)	-
3	Ancient Indian History & Culture & Archeology	1 (ST)	1 (UR)	-
4	Computer Science	1 (ST)	1 (ST BL)	2 (ST BL, UR)
5	Lit & Language (Linguistics)	-	2 (ST BL, SC BL)	1 (SC BL) English
6	Economics	-	1 (ST BL)	-
7	Physics & Astrophysics	-	2 (ST BL)	-
8	Philosophy & Yoga	1 (UR)	1 (ST BL)	1 (ST BL)

9	Electronics & Photonics	-	1 (ST BL)	3 (ST BL, SC BL, SC)
10	Innovative Programme M.Tech. in Optoelectronics & Laser Technology	-	1 (SC)	1 (UR)
11	Bio-Science	-	1 (ST BL)	2 (UR, OBC)
12	MBA	-	1 (ST BL)	2 (UR, SC)
13	Bio-Technology	-	1 (ST BL)	-
14	Mathematics	-	1 (ST BL)	1 (SC BL)
15	Pharmacy	-	2 (SC BL, ST BL)	-
16	Anthropology	-	1 (ST BL)	-
17	Statistics	1 (SC)	-	1 (ST BL)
18	Library Information Science	-	1 (ST)	-
19	Law	1 (UR)	1 (UR)	2 (ST BL, OBC BL)
20	Regional Studies	1 (OBC)	-	-
21	Geology	-	-	2 (ST BL, OBC)
22	Centre for Basic Sciences	-	-	2 [Zoology (ST), Computer (UR)]
23	Hindi	1 (ST)	2 (ST, SC)	4 (UR, UR, OBC, ST)
24	Chemistry	1 (UR)		
25	Psychology		1 (UR)	
26	Environment Science		1 (UR)	
	Total	10	25	25

Grand Total 60

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. भवन निर्माण समिति के पुनर्गठन हेतु कार्यपरिषद् से 2 सदस्य एवं एक सदस्य विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड (APEB) से सदस्य के रूप में मनोनित करने के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति के लिए संशोधित परिनियम क्रमांक-03 के बिंदु क्रमांक-05 के तहत माननीय कार्यपरिषद् के द्वारा दो सदस्यों एवं एक सदस्य विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड (APEB) से मनोनित किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE /2022/145) के अंतर्गत उपकरण OC EC Analyzer Equipment Installation पूर्व किये गए Lab Requisites एवं room preparation हेतु कुल राशि रु. 14,16,000=00 (रु. चौदह लाख सोलह हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR / PURSE / 2022/145; दिनांक- 13/01/2023) के अंतर्गत शोध उपकरण DRI model 2015 series 2 Multiwavelength Thermal/Optical Carbon analyzer" Lab Requisites एवं room preparation के भुगतान M/S MARS Bioanalytical Pvt. Ltd. New Delhi को उनके दिये गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि (GST सहित) रु. 14,16,000=00 (रु. चौदह लाख सोलह हजार मात्र) का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

8. **DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत उपकरण OC EC Analyzer Equipment हेतु कुल राशि रु. 98,69,992-00 (रु. अठानबे लाख उनहत्तर हजार नौ सौ बयानबे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**
टीप: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project, SR/PURSE / 2022/145; दिनांक- 13/01/2023) के अंतर्गत शोध उपकरण DRI model 2015 series 2 Multiwavelength Thermal/Optical Carbon analyzer M/S MARS Bioanalytical Pvt- Ltd] New Delhi को उनके दिये गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि (GST सहित) रु.98,69,992=00 (रु. अठानबे लाख उनहत्तर हजार नौ सौ बयानबे मात्र) का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।
9. **DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत विदेश से आयातित उपकरण (Steady State Fluorescence Spectrophotometer) के कुल मूल्य का 90% एडवांस तथा 18% IGST इत्यादि के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**
टीप: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST& PURSE Project; SR/ PURSE / 2022/145; दिनांक - 13/01/2023) के अंतर्गत विदेशी मूल के देश से आयात किए गए उच्च कोटि के वैश्लेषिक वैज्ञानिक शोध उपकरण (Steady State Fluorescence Spectrophotometer) के कुल मूल लागत का 90% राशि (रु. 60,83,090=00; रु. साठ लाख तिरासी हजार नब्बे मात्र) अग्रिम के रूप में M/S Horiba Instruments Inc, Knightsbridge Road, NJ, USA को भुगतान किया जा चुका है। इसी तारतम्य में क्लीयरिंग एजेंट M/S Fairdeal Enterprises Pvt Ltd] Kolkata dks 18 % IGST एवं agency charges इत्यादि की कुल राशि रु. 11,20,000=00 (रु. ग्यारह लाख बीस हजार मात्र) के भुगतान किया गया है। कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
10. **DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत विदेश से आयातित उपकरण के अंतर्गत विदेश से आयातित उपकरण (FTIR & Imaging Spectrometer) के कुल मूल्य का 90% एडवांस तथा 18% IGST इत्यादि के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**
टीप: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST& PURSE Project; SR / PURSE / 2022/145; दिनांक-13/01/2023) के अंतर्गत विदेशी मूल के देश से आयात किए गए उच्च कोटि के वैश्लेषिक वैज्ञानिक शोध उपकरण (FTIR& Imaging Spectrometer) के कुल मूल लागत का 90% राशि (रु. 83,33,000=00; रु. तिरासी लाख तैतीस हजार मात्र) अग्रिम के रूप में M/S Thermo Electron Scientific Instrument] LLC Verona Road] Madison] WI] USA को भुगतान किया जा चुका है। इसी तारतम्य में क्लीयरिंग एजेंट M/S Siddhartha Logistics Co Pvt Ltd. Kolkata को 18 % IGST एवं Agency Charges इत्यादि की कुल राशि रु. 1603962=00 (रु. सोलह लाख तीन हजार नौ सौ बासठ मात्र) का भुगतान किया गया है। कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विधि अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. एल.एल.एम. प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर में 10 सीटें पेमेंट कोटा में प्रवेश अनुमति के संबंध में विचार करना।

टीप: विधि अध्ययनशाला में एल एल. एम. कोर्स करने वाले इच्छुक छात्रों की संख्या अधिक है, छात्रों के भविष्य को देखते हुए 10 सीटें पेमेन्ट कोटा में वृद्धि करने हेतु यह नोटशीट प्रस्तावित है। वर्तमान में एल एल. एम. की फीस 3960.00 (तीन हजार नौ सौ साठ रुपये मात्र) है, पेमेन्ट कोटा में 3960.00 के अतिरिक्त 5000.00 (पाँच हजार रुपये मात्र) अतिरिक्त शुल्क लेकर प्रवेश हेतु प्रस्ताव है। कुल 45 सीटें हैं तथा 10 सीटें बढ़ाई जानी है। परन्तु इन 10 सीटों में उन्ही आवेदकों को प्रवेश की पात्रता होगी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। पूर्व में भी सत्र 2020-2021 एवं 2023-2024 में निर्धारित 45 सीट की संख्या में वृद्धि कर 60 सीटें निर्धारित की गई थी। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

12. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

सचिव
21/8/24
कुलसचिव